

I/304063/2023

विद्युत शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु रूप-पत्र

- 1- आवेदक/संस्था का नाम-.....।
- 2- आवेदक/संस्था का पूर्ण पता-.....।
- 3- संस्था का ई-मेल-.....।
- 4- संस्था का दूरभाष न०-.....।
- 5- संस्था का विवरण-.....।
- 6- संस्था का पैन न०-.....।
- 7- संस्था का जी०एस०टी० न०-.....।
- 8- विद्युत खाता संख्या-.....।
- 9- अवधि-.....से.....तक।
- 10- विद्युत शुल्क की धनराशि- अंकों में.....।  
शब्दों में.....।

प्रमाणित किया जाता है कि..... (संस्था/इकाई का नाम) जो तहसील.....  
.....जनपद.....में स्थित है द्वारा वित्तीय वर्ष.....में विद्युत शुल्क (अधिभार)  
के रूप में कुल रू०.....भुगतान किया गया है, जो उ०प्र० दुग्धशाला विकास  
एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति करने हेतु अर्ह है।

हस्ताक्षर  
अधिशाली अभियन्ता  
का नाम एवं मुहर।

दुग्धशाला विकास विभाग के जनपदीय अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का  
प्रतिहस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षर  
नाम एवं मुहर।